



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 26 मई, 2020

ज्येष्ठ 5, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 490/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(125)-2020

लखनऊ, 26 मई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-129

एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2017) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसमें आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या 445/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रथम प्रस्तर में, खंड (ii) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु जहां उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 138 के अधीन, 24 मार्च, 2020 को या उसके पूर्व, ई-वे बिल सृजित किया गया हो, और इसकी विधिमान्यता की अवधि 20 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020 की अवधि के दौरान समाप्त हो गई हो, ऐसे ई-वे बिल की विधिमान्यता की अवधि दिनांक 31 मई, 2020 तक बढ़ायी गयी समझी जाएगी।”

आज्ञा सैं,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्या सचिवा

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 490/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(125)-2020, dated May 26, 2020 :

No. 490/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(125)-2020

Dated Lucknow, May 26, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no 13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 14 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Notification no. 445/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(118)-2020, dated May 11, 2020, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to the 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 31st day of May, 2020."

By order,

ALOK SINHA,

Apar Mukhya Sachiv.